न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 124 / 2019 तारीख रजू– 04.10.2019

पीठासीन अधिकारी– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

मोती पुत्र भोला जोगी निवासी गोरडा तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी

उपस्थिति :–1. श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (वादी)

दावा बाबत इस्तकरारहक राज0 टि0एक्ट व धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक:– 26.11.2019

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गोरडा की आराजी ख0न0 1279 रकबा 0.57 है0 मे वर्तमान जमाबन्दी मे वादी के पिता का नाम भौरया अंकित है जबकि वादी के पिता का नाम भोला है। उक्त आराजी मे सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा साबिक ख0न0 373 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा से तरमीम कर अंकित किया है। वादी के पिता का नाम भोला वल्द रघुनाथ जोगी था। जो साबिक ख0न0 373 रकबा 2 बीघा 5 बिसवा ग्राम गोरडा की खतौनी सम्वत 2009 से 2018 मे काश्तकारी दर्ज है। उसके बाद उक्त आराजी मे खातेदारी रेवन्यू कर्मचारियो की भूल व पैनस्लिप के कारण भोला की जगह भौरया लिख दिया गया। जो जमाबन्दी सम्वत 2030–33, 2034–2037 मे अंकित है तथा भोला के फौत हो जाने के बाद विरासत मे भी वादी के पिता के स्थान पर भोला की जगह भौरया चला आ रहा है जबकि वादी के पिता का नाम भोला है। जो समस्त राजस्व रिकार्ड व वादी के समस्त दस्तावेजात आधारकार्ड मे दर्ज है। इसलिये वादी के पिता का नाम भौरया की जगह भोला दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। वादी हाल की रेवन्यू रिकार्ड लेकर पटवारी हल्का के पास बैक पत्रावली बनवाने के लिये गया तो पटवारी ने कहा कि तुम्हारे पिता नाम अलग–अलग दर्ज है पहले इसे दुरूस्त कराओ तो वादी आश्चर्यचकित हो गया तथा कहने लगा कि मेरे पिता का नाम तो भोला है, भौरया कैसे हो गया। वादी द्वारा समस्त राजस्व रिकार्ड निकलवाने पर पता चला कि उक्त खाते मे वादी के पिता का नाम भोला के स्थान पर भौरया अंकित कर दिया। जिसे लेकर तहसीलदार टोडाभीम के पास दिनांक 23.7.19 को कार्यालय मे गया तथा वादी के पिता का नाम भौरया की जगह भोला करने का निवेदन किया तो उन्होने मना कर दिया तथा न्यायालय से आदेश लाने को कहा इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर आराजी ख0न0 1279 रकबा 0.57 है0 ग्राम गोरडा की खातेदारी मे वादी मोती पुत्र भौरया के स्थान पर मोती पुत्र भोला जोगी करने के आदेश फरमाये जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित हुये व जबाब पेश किया कि मुताबिक रिकार्ड ग्राम गोरडा की

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

आरजी ख0न0 1279 रकवा 0.57 है0 मे मोती पुत्र भौरया जाति जोगी निवासी गोरडा के नाम दर्ज है। साबिक रिकार्ड अनुसार खतौनी सम्वत 2009–18 के खाता संख्या 150 मे ख0न0 373 रकवा 2 बीधा 5 बिस्वा मे भोला वल्द रघु जाति जोगी दर्ज रिकार्ड है तथा जमाबन्दी सम्वत 2014–17 के खाता संख्या 197 खसरा नम्बर 373 रकवा 2 बीधा 5 बिस्वा मे भोला पुत्र रघुनाथ जाति जोगी सा.देह रिकार्ड दर्ज है। जिसके आधार पर वादी के पिता का नाम भौरया के स्थान पर भोला दुरूस्त किया जाना उचित है।

वादी वकील की बहस सुनी गई प्रार्थी वकील ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया ओर कथन किया कि वादी के पिता का सही नाम भोला है, राजस्व कर्मचारियो द्वारा लिपिकीय भूल से दर्ज कर दिया है। दस्तावेज प्रस्तुत किये है वादी का दावा डिक्री किया जाकर वादी के पिता का नाम भौरया के स्थान पर भोला दर्ज करने के आदेश फरमाया जावे।

वादी वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। ग्राम गोरडा की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2009–18 के खाता संख्या 150 मे भोला वल्द रघु कौम जोगी दर्ज है, जमाबन्दी सम्वत 2014–17 के खाता संख्या 77 मे भोला पुत्र रघुनाथ जाति जोगी दर्ज है। साबिक ख0न0 373 रकवा 2 बीधा 5 बिस्वा से मुताबिक मिलान क्षेत्रफल नवीन ख0न0 1279 रकवा 0.57 है0 कायम किये गये है। वर्तमान रिकार्ड जमाबन्दी मे वादी मोती के पिता का नाम भौरया दर्ज हो रहा है। वादी ने वाद पत्र के समर्थन मे आधार कार्ड न0 3767 1886 1787 एवं भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र कमांक आरजे/11/088/228400 मे मोती पुत्र भोला अंकित है। उपरोक्त दस्तावेजात एवं तहसीलदार टोडाभीम (लैण्ड होल्डर) की अनुशंषा के अनुसार वादी का दावा स्वीकार योग्य पाता हूँ। अतः वादी का दावा वादी का दावा डिक्री किया जाता है।

अतः ग्राम गोरडा की आराजी ख0न0 1279 रकवा 0.57 है0 मे दर्ज मोती पुत्र भौरया के स्थान पर मोती पुत्र भोला जाति जोगी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम को निर्णय की प्रति पालना हेतु भेजी जाकर पालना प्राप्त की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

26/11/19
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2019.12.04 14:33:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: